दिनांक 17–09–2011 को श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही :–

1– उपस्थिति – पंजी के अनुसार

2– माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष की अनुमति से सर्वप्रथम सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग ने राज्य सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए सूचित किया कि आज की बैठक की कार्यावली एवं दिनांक 08.04.2011 की अंतिम बैठक की कार्यवाही तथा अनुपालन प्रतिवेदन सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दिया गया है।

श्री महेश्वर हजारी, माननीय सांसद द्वारा गत बैठक की कार्यवाही की कंडिका–8(xi) में कांड सं0–44/11 के बदले 46/11 करने का अनुरोध किया। तद्नुसार आवश्यक संशोधन के साथ सर्वसम्मति से दिनांक–08.04.2011 की बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की गयी।

3– अध्यक्ष महोदय द्वारा गत बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन प्रतिवेदन की कंडिकावार समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निर्णय लिये गये/निदेश दिये गये:–

आम जनता को अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के प्रति जागरूक बनाने की आवश्यकता है एवं प्रचार–प्रसार कराने की आवश्यकता है। सचिव के द्वारा बताया गया कि जिला कल्याण पदाधिकारियों को इसके लिए राशि उपलब्ध करायी गई है। अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 एवं नियम– 1995 के मुख्य बिन्दु से संबंधित 20 हजार प्रति आम जनता के बीच प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता हेतु वितरित किया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया कि प्रचारित प्रति में कोई महत्वूपर्ण बिन्दु छूट गया हो, तो उसे शामिल कर लिया जाय।

(अनुपालनः–**अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग**)

4– अनुसूचित जाति/जनजाति जाति के सदस्यों को भूदान जमीन, सरकारी जमीन, बासगीत पर्चा इत्यादि द्वारा उपलब्ध कराई गयी भूमि के संबंध में बड़ी संख्या में

सामने आ रहे बेदखली के मामलों के संबंध में चिन्ता व्यक्त करते हुए माननीय मुख्य मंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि बेदखली के मामलों में लाभार्थियों को संबंधित जमीन का दखल–कब्जा दिलाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा गृह विभाग द्वारा प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था की जाय।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस तरह के मामलों की समीक्षा करने एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी को समय–समय पर आवश्यक दिशा निदेश देने के लिए एक **विशेष कोषांग का गठन करे** साथ ही इस तरह के मामलों की संख्या, दखल–कब्जा दिलाने के लिए की गयी कार्रवाई इत्यादि से संबंधित अंचलवार/जिलावार/मासिक प्रतिवेदन तैयार करे और इसकी जिला तथा राज्य स्तर पर मासिक समीक्षा करना सुनिश्चित करें ।

(अनुपालन– गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सभी जिला पदाधिकारी)

5– प्रत्येक जिला में "अनुसूचित जाति/जनजाति विशेष थाना" खोलने में हो रहे बिलम्ब पर असंतोष व्यक्त किया गया। इस संबंध में जानकारी दी गयी कि गृह आरक्षी विभाग का आदेश सं0–7082 दिनांक–17.9.2011 द्वारा 30 जिलों में विशेष थानों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है लेकिन अभी तक इन थानों को क्रियाशील करने के लिए थाना भवन, वाहन, आरक्षी पदाधिकारियों का पदस्थापन तथा अन्य संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं की गयी है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिया गया कि गृह विभाग/पुलिस मुख्यालय इन थानों को क्रियाशील करने के लिए शीध्र प्रशासनिक व्यवस्था तथा सभी प्रकार की आधारभूत संरचना इस कलैंडर वर्ष में पूर्ण करना सुनिश्चित करे।

(अनुपालन– गृह विभाग एवं पुलिस मुख्यालय)

6– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज काण्डों में अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण की धीमी प्रगति एवं कम Conviction Rate पर चिन्ता जताते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने निदेश दिया कि इस अधिनियम के तहत् दर्ज वादों में अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण में संबंधित आरक्षी पदाधिकारियों द्वार अपेक्षित संवेदनशीलता एवं तत्परता बरती जाय साथ ही Conviction Rate बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाय। इन वादों में अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण में प्रगति लाने के लिए क्षेत्रीय पुलिस पदाधिकारियों एवं विशेष लोक अभियोजकों को आरक्षी महानिदेशक के स्तर से निदेश दिया जाय तथा उनके कार्यों की मासिक समीक्षा की जाय।

प्रत्येक माह इस अधिनियम के तहत्

(1) लम्बित वादों की संख्या,

(2) दर्ज नये वादों की संख्या,

(3) निष्पादित वादों की संख्या,

(4) माह के अन्त में लम्बित वादों की संख्या इत्यादि,

की थानावार विवरणी जिला स्तर पर तथा जिलावार विवरणी पुलिस महानिदेशक के स्तर पर संधारित की जाय और उसकी समीक्षा की जाय साथ ही यह प्रतिवेदन अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।

इस संबंध में सचिव, विधि विभाग ने सुझाव दिया कि गवाहों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि उन पर किसी तरह का दवाब नहीं बनाया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि जाँच की प्रक्रिया भी जल्द ही पूरी की जानी चाहिए, ताकि आरोपी द्वारा गवाह को डराने–धमकाने का अवसर प्राप्त न हो सके।

(अनुपालन–पुलिस महानिदेशक / सभी जिला पदाधिकारी / सभी आरक्षी अधीक्षक)

7– अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि पुलिस प्रशासन एवं अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा इस अधिनियम के तहत् दर्ज काण्डों के अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण में तेजी लाने तथा Conviction Rate बढाने के लिए एक सुविचारित योजना तैयार की जाय।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि जिस तरह शस्त्र अधिनियम के मामलों में योजनावद्ध तरीके से स्पीडी ट्रायल कराये जा रहे हैं और आरोपियों को सजा दिलाने के लिए नीति निर्धारण कर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है उसी तरह इस अधिनियम के तहत् भी दर्ज मामलों में विस्तृत योजना तैयार कर जिला स्तर पर लागू की जाय । इस अधिनियम के तहत् दर्ज काण्डों में गवाहों की ससमय उपस्थिति तथा समय पर अनुसंधान एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करने के आदेश दिए जाये तथा अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

इस अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामलों में पुलिस की भूमिका Pro-active होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि अत्याचार करने वालों के मन में ये डर होना चाहिए कि अगर वे अत्याचार करते है तो शीध्र एवं कठोर कार्रवाई की जायेगी ताकि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों पर अत्याचार हों ही नहीं।

आरक्षी महानिदेशक ने कहा पुलिस मुख्यालय / अपराध अनुसंधान विभाग अध्यक्ष महोदय के अदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगा ।

(अनुपालन–पुलिस महानिदेशक)

8– जिलास्तरीय सर्तकता एवं मोनेटरिंग समिति की नियमावली के नियम–17 (ii) के अनुसार 5 गैर सरकारी सदस्य, 3 अनुसूचित जाति/जनजाति से भिन्न वर्ग के सदस्य तथा तीन अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित राज्य सरकार के वर्ग–''क'' के अधिकारियों में से सक्रिय, कर्मठ एवं लगनशील व्यक्तियों को नामित करने की समीक्षा के क्रम में सचिव–सह–संयोजक ने बताया कि जिला पदाधिकारी, मुंगेर, शिवहर एवं वैशाली से अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित अधिकतम 5 गैर सरकारी सदस्यों के नाम का प्रस्ताव प्राप्त है लेकिन शेष जिलों से स्मार के बावजूद प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

माननीय मुख्यमंत्री ने निदेश दिया कि मुख्य सचिव के स्तर से सभी जिला पदाधिकारियों से स्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया जाय। साथ ही ई–मेल द्वारा उक्त श्रेणी के सदस्यों के नाम का प्रस्ताव संक्षिप्त बायो–डाटा/विवरणी के साथ शीध्र भेजने का निदेश दिया जाय।

(अनुपालन–सभी जिला पदाधिकारी/अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

9– जिला सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की प्रत्येक तीन माह में बैठक आयोजन करने के लिए विभाग के स्तर से रोस्टर निर्धारित कर जिला पदाधिकारियों को सूचित कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद छः जिलों में दो एवं 21 जिलों में मात्र एक बैठक करने की सूचना प्राप्त है। पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, सिवान, खगड़िया, जमुई, अररिया, औरंगाबाद, अरवल, नवादा में एक भी बैठक नहीं की गयी है।

इस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने निदेश दिया की मुख्य सचिव द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंस कर सभी जिला पदाधिकारियों को त्रैमासिक बैठक आयोजन करने हेतु निदेशित किया जाय तथा बैठक में किये गये कार्यों की समीक्षा की जाय। जिस जिला में अभी तक त्रैमासिक बैठक आयोजित नहीं की है उनसे कारण पृच्छा की जाय।

(अनुपालन–सभी जिला पदाधिकारी/अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

10– <u>कार्यावली संख्या–3</u>

<u>अधिनियम एवं नियम के उपबंधों के अनुसार लंबित वादों/अनुशंधानों/ अभियोजना की समीक्षा</u> :–

पुलिस महानिरीक्षक (कमजोर वर्ग), बिहार, पटना द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में ये बात सामने आयी कि अप्रैल–जुलाई, 2011 की अवधि में 1711 कांड दर्ज किये गये है जबकि जुलाई, 2011 के अन्त में 4607 काण्ड लंबित है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि कांडो के अनुसंधान, पर्यवेक्षण एवं निस्तार में गति लाने के लिए पुलिस महानिदेशक द्वारा सभी आरक्षी अधीक्षकों/जाँच कर्त्ताओं को सार्थक निर्देश दिए जाए। साथ ही जिला/राज्य स्तर पर इन मामलों की विशेष रूप से मासिक समीक्षा की जाय।

सचिव, विधि विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि इस अधिनियम के तहत् दर्ज वादों में Conviction Rate बढ़ाने के लिए –

- जिला स्तर पर विशेष सेल का गठन,
- गवाहों के ब्यान को CrPC की धारा 164 के तहत् दर्ज करना,
- पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष ध्यान देकर गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा
- विशेष लोक अभियोजक के रूप में संवेदनशील और कर्मठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति करना इत्यादि

कार्रवाई की जानी चाहिए।

यह भी बात सामने आयी है कि विशेष अभियोजकों की फीस कम होने के कारण वे इस तरह के मामलों में विशेष अभिरूचि नहीं लेते है। अतः विधि विभाग द्वारा विशेष अभियोजकों की फीस बढ़ाने की कार्रवाई की जाय ।

(अनुपालन– विधि विभाग, गृह विभाग एवं पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक (क0 वर्ग), सभी आरक्षी अधीक्षक)

11– <u>कार्यावली संख्या–5</u>

<u>पीड़ित व्यक्तियों को दी गयी राशि और पुर्नवास सुविधाएं तथा उससे संबद्ध अन्य मामलों की समीक्षा</u> :–

संयोजक–सह–सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2009–10 में 102.11 लाख रू0 व्यय कर 1010 पीड़ितों को लाभान्वित किया गया जबकि वर्ष 2010–11 में 131.10 लाख रू0 व्यय कर 1366 पीड़ितों को लाभान्वित किया गया है । वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 2011–12 पटना, पू0 चम्पारण, समस्तीपुर, बेगुसराय, मुजफफरपुर, भागलपुर एवं खगड़िया जिला को 46.50 लाख की राशि आवंटित की गयी है।

उन्होंने बताया कि जिलों से प्राप्त सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठकों की कार्यवाही के विश्लेषण से प्रतीत होता है कि हत्या/बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में भी अंतिम आरोप पत्र समर्पित करने में देरी के कारण राहत राशि भुगतान करने में कठिनाई होती है । कई जिले यथा नवादा (19,13,750/–रू0), जहानाबाद (6,77,000/–रू0) एवं शेखपुरा (1,68,750/–रू0) की राशि इस मद् में अव्यवहृत हैं। नवादा जिला में हत्या एवं बलात्कार के 19 मामलों में राहत राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है क्योंकि अनुसंधान प्रतिवेदन समय पर समर्पित नहीं किया गया है। इसी तरह पटना जिला में भी वर्ष–2002 से 2005 के हत्या के सात मामलें तथा 2002 से 2010 तक के कुल 31 मामलों में अनुसंधान प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण पीड़ितों को अनुमान्य राहत राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है।

माननीय मुख्यमंत्री ने निदेश दिया कि इस अधिनियम के तहत् दर्ज काण्डों में तत्परता से राहत राशि का भुगतान करना जिला पदाधिकारी सुनिश्चित करें। पुलिस महानिदेशक के स्तर से भी सभी आरक्षी अधीक्षकों को निदेशित किया जाय कि इस अधिनियम के तहत् दर्ज वादों में अनुसंधान/अन्तिम आरोप पत्र त्वरित गति से पूरा हों/समर्पित हों ताकि पीड़ितों को सहायता राशि से लाभान्वित कराया जा सके। सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी पुलिस अधीक्षक इस तरह के मामलों में विशेष ध्यान देकर ससमय आरोप पत्र समर्पित करना सुनिश्चित करें।

श्री रामलषण राम रमण, स0विस0 सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया कि अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति एवं उसके आश्रितों को राहत अनुदान में दी जा रही राशि की सूचना सभी सदस्यों को दी जाय। माननीय मुख्यमंत्री ने निदेश दिया कि सभी सदस्यों को प्रतिव्यक्ति राहत अनुदान की राशि की स्वीकृति/भुगतान की जिलावार सूची उपलब्ध करायी जाय।

(अनुपालन– आरक्षी महानिरीक्षक/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

12– <u>अन्यान्यः–</u>

(i) अनु0 जाति उप योजना (SCSP)/अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) के तहत् कर्णांकित राशि के व्यय का प्रभावकारी रूप से अनुश्रवण सुनिश्चित करने की समीक्षा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया है कि प्रधान सचिव, योजना एवं विकास

विभाग, SCSP/TSP के तहत् कर्णांकित राशि से विभिन्न विभागों द्वारा अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के कल्याणार्थ योजनाएं ली जा रही है या नहीं उसकी विभागवार समीक्षा करें। साथ ही अगर योजनाएं ली गयी है तो (1) संख्या (2) प्राक्कलित राशि (3) योजना की पूर्ण होने की स्थिति, इत्यादि से संबंधित विभागवार प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। यह भी निदेश दिया गया कि इस संबंध में अगली बैठक में सभी सम्बन्धित विभाग SCSP/TSP के अन्तर्गत ली गई योजनाओं के सम्बन्ध में Power Point Presentation प्रस्तुत करेंगे।

(अनुपालन– योजना एवं विकास विभाग/सभी विभाग)

(ii) श्री अमला देवी, स0वि0स0 द्वारा सुश्री रूबी देवी, पिता– श्री शंकर सरदार, थाना–त्रिवेनिगंज, कांड सं0–177/09 में अत्याचार से पीड़ित को न्याय दिलाने का अनुरोध किया गया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपराध अनुसंधान विभाग को इसकी जांच कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– पुलिस मुख्यालय)

(iii) श्री संतोष कुमार निराला, स0वि0स0 द्वारा बक्सर जिला में नेतपुर में महादलित परिवार की आंगनवाड़ी सेविका की नियुक्ति के बाद भी हटाकर दूसरे समुदाय की महिला को नियुक्त किया गया है, जबकि केन्द्र अनु0 जाति के नाम से आवंटित था। इसकी जाँच विभाग सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– सचिव, समाज कल्याण विभाग)

(a) राजपुर अंचल के राजपुर में महादलित परिवार के श्री विश्वासमित्र 60 वर्षों से मकान बनाकर रह रहे हैं। उस जमीन का बंदोवस्त बिना देखे सुलेमान मियां के नाम से कर दिया गया। प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, इस संबंध में जांचोपरान्त त्वरित कार्रवाई करे।

(अनुपालन– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

(iv) श्रीमती भागीरथी देवी, स0वि0स0 ने बताया कि टी0पी0 वर्मा, महाविद्यालय, नरकटियागंज में कार्यरत अनुसूचित जाति के सदस्यों को बिना कारण बताये हटा दिया गया है। पुनः उन्हें बहाल करने हेतु विश्वविद्यालय से अनुरोध किया जाय।

(अनुपालन– मानव संसाधन विभाग)

(v)– श्री रामलषण राम रमण, स0वि0स0 ने कहा कि मधुबनी जिलान्तर्गत अंधराढाढ़ी प्रखंड के अंचलाधिकारी श्री राजीव रंजन सिन्हा के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हो रही है ।

उन्होंने एक शिकायत पत्र भी बैठक में उपलब्ध कराया । शिकायत की जाँच प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा कराये जाने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

(vi)– श्री मनोहर प्रसाद सिंह, स0वि0स0 द्वारा मनिहारी थाना कांड सं0 54/11 दिनांक–21.5.2011 एवं 86/11 दिनांक–11–07–2011 की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया।

(अनुपालन– पुलिस मुख्यालय)

(a) अनुसंधान में तत्परता बरती जाय। साथ ही अधिनियम की धारा 4 में कर्त्तव्यों के उपेक्षा के लिए अनु0जाति और अनु0 जनजाति के लोक सेवक को मिली छूट को निरस्त करने की कार्रवाई की पहल की जाय।

(अनुपालन– सामान्य प्रशासन विभाग)

(b) अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के नियम 7(2) (1) के अनुसार 30 दिन के अन्दर अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाय। ऐसा नहीं किये जाने पर अनुसंधान करने वाले पदाधिकारी की वार्षिक गोपनीय चारित्रिकी में उल्लेख किया जाय एवं उनके विरूद्ध निश्चित रूप से विभागीय कार्यवाही आरम्भ किया जाय।

(अनुपालन– गृह विभाग)

(c) इस अधिनियम के तहत् अभियोगों में 90 दिन के अन्दर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित नहीं किये जाने के आधार पर अभियुक्तों को जमानत मिलने पर अनुसंधानकर्त्ता/पर्यवेक्षणकर्त्ता/पुलिस अधीक्षक के विरूद्ध कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन– गृह विभाग)

(d) इस अधिनियम के तहत् अभियुक्त जमानत पर मुक्त हो और उनके विरूद्ध वादी और गवाहों को धमकाने, प्रताड़ित करने या सुलह करने दबाव दिये जाने की सूचना प्राप्त होने पर अभियुक्तों की जमानत रद्द करने की दिशा में कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन– विधि विभाग)

(e) इस अधिनियम के तहत् अभियोगों का प्राथमिकता के आधार पर विचारण किया जाय एवं वादी तथा गवाहों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान किया जाय।

(अनुपालन– गृह / विधि विभाग)

(f) पुलिस महानिरीक्षक (क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग के स्तर पर क्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक के साथ प्रत्येक माह समीक्षात्मक बैठक आयोजित होनी चाहिए।

(अनुपालन– गृह विभाग)

(g) इस अधिनियम / नियम के प्रावधानों की पूरी जानकारी पुलिस पदाधिकारियों को दी जाय। साथ ही थाना से समर्पित किये जाने वाले अपराध समीक्षा प्रतिवेदन में पीड़ित को दी जाने वाली राहत राशि संबंधी प्रस्ताव का उल्लेख किया जाना चाहिए।

इस संदर्भ में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा गृह विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग एवं पुलिस महानिरीक्षक (क0 व0) अपराध अनुसंधान विभाग को पूरी मामले की जांच एवं समीक्षा करने का निदेश दिया गया।

(vii) श्री सोनेलाल हेम्ब्रम, स0वि0स0 ने बौंसी थाना कांड संख्या 60 / 2011 एवं सी0 जी0 एम0 कोर्ट बांका केश नं0 653 / 11 में गलत ढंग से आदिवासियों को फंसाने की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग को पूरी मामले की जांच करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–पुलिस मुख्यालय)

(viii) **श्री भूदेव चौधरी**, माननीय सासंद ने अनुरोध किया कि अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, बामदह, जमुई में सामग्री एवं पूर्तियां मद में चौकी एवं अन्य उपस्कर (Computer) उपलब्ध करायी जाय तथा पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जाय।

(अनुपालन– अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभागीय सचिव से पृच्छा की कि इस विद्यालयों की छात्रायें फर्श पर सोती है और उन्हें पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में विभागीय सचिव द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त विद्यालय में चौकी एवं बुनियादी सामग्रियों हेतु राशि आवंटित की गई है। साथ–ही K-Yan के माध्यम से कम्प्यूटर का प्रशिक्षण एवं शिक्षा दी जा रही है।

(a) श्री भूदेव चौधरी, माननीय सासंद ने पुनः बताया कि बाँका जिला में कोई अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालय नहीं है। इस संबंध में विभागीय सचिव द्वारा बताया गया कि बांका में अनुसूचित जाति बालिका आवासीय उच्च विद्यालय संचालित है किन्तु विद्यालय का अपना भवन नहीं है।

(b) श्री भूदेव चौधरी, माननीय सासंद ने अनु0 जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 एवं नियम–1995 के मुख्य प्रावधानों के साथ–साथ नशा मुक्ति पर सरकार की ओर से चलचित्र के माध्यम से प्रत्येक ग्राम/पंचायत/प्रखण्ड/जिला में प्रचार–प्रसार करने की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया। विभागीय सचिव द्वारा बताया गया कि रेडियों मिर्ची के माध्यम से इसका प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि चलचित्र के माध्यम से सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा प्रचार–प्रसार कराया जाय।

(c) श्री भूदेव चौधरी, माननीय सासंद द्वारा बताया गया कि बांका जिला में अनु0 जनजाति के लोगों के नाम पर बोरिंग, पम्प सेट लिया जा रहा है। लेकिन वास्तविक व्यक्तियों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निदेश दिया गया कि माननीय सांसद Specific सूचना/शिकायत उपलब्ध करावें ताकि मामले की जाँच अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग से करायी जा सके।

(IX)– श्री महेश्वर हजारी, माननीय सांसद ने सुझाव दिया कि छात्रवृति की राशि समय पर दी जाय एवं छात्रावासों की संख्या बढाई जाय। खानपुर थाना, समस्तीपुर के काण्ड सं0–46/11 एवं 189/10 में आवश्यक कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन– गृह विभाग/अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

(X)– श्री हरि मांझी, माननीय सांसद ने सुझाव दिया कि अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के प्रति जागरूक बनाने की आवश्यकता है एवं प्रचार–प्रसार कराने की आवश्यकता है।

(अनुपालन– अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

(xi)– श्री विध्यानन्द विकल, माननीय अध्यक्ष, राज्य अनु0 जाति आयोग द्वारा राज्य स्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में आमंत्रित करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री –सह– अध्यक्ष को धन्यवाद दिया गया। इनके द्वारा बताया गया कि आवासीय विद्यालय,

भभुआ, सासाराम में उपस्कर एवं कॉपी तक नहीं मिलता है। छात्रों को मीनू के अनुसार खाना भी नहीं दिया जाता है।

(अनुपालन– अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

(xii)– श्री ललित भगत, माननीय उपाध्यक्ष, राज्य अनु0 जनजाति आयोग द्वारा बताया गया कि वन विभाग द्वारा झूठे मामले दर्ज किये जाते हैं। इससे अनु0 जनजाति के लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने बताया कि इस संबंध में Specific सूचना रहने पर जाँच कराना संभव हो सकेगा।

(अनुपालन– पर्यावरण एवं वन विभाग)

(xiii)– श्री योगेन्द्र पासवान, माननीय उपाध्यक्ष, राज्य अनु0 जाति आयोग द्वारा माननीय मुख्य मंत्री –सह– अध्यक्ष को राज्य स्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में आमंत्रित करने हेतु धन्यवाद दिया गया। साथ ही सुझाव दिया गया कि अत्याचार से संबंधित मामलों में अंतिम आरोप पत्र तत्परता से समर्पित किये जाये ताकि राहत अनुदान की राशि का भुगतान किया जा सके। सभी जिला पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को इस संबंध में विशेष ध्यान देकर आरोप पत्र की कार्रवाई में गति लाने का निदेश दिया जाय। राज्य के सभी आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों में पुस्तकालय का निर्माण कराया जाय।

(अनुपालन– अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निदेश दिया कि अगली बैठक बजट सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व (जनवरी के अंतिम सप्ताह फरवरी के प्रथम सप्ताह में) आयोजित की जाएगी। जिसमें सभी सदस्यों से अपेक्षा है कि वे बैठक में कार्यावली बिन्दुओं एवं अधिनियम/नियम के सारे प्रावधानों को समझ कर आयें ताकि बैठक में अधिक उपयोगी विचार–विमर्श किया जा सके ।

अन्त में सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् माननीय अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(रवि परमार) 7.10.11.
सचिव
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

ज्ञाप संख्या–1/पी0सी0आर(विविध)09–10/05(खण्ड) 2701 पटना दिनांक– 7-9-11

प्रतिलिपि– संबंधित माननीय सांसद/माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा सह सदस्य राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञाप संख्या–1/पी0सी0आर(विविध)09–10/05(खण्ड) 2701 पटना दिनांक– 7-9-11

प्रतिलिपि– माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्य अनु0जाति आयोग एवं राज्य अनु0 जनजाति आयोग को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञाप संख्या–1/पी0सी0आर(विविध)09–10/05(खण्ड) 2701 पटना दिनांक– 7-9-11

प्रतिलिपि– सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार/आप्त सचिव, वित्त मंत्री/आप्त सचिव, गृह मंत्री/आप्त सचिव, मंत्री, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/विधि मंत्री के आप्त सचिव, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञाप संख्या–1/पी0सी0आर(विविध)09–10/05(खण्ड) 2701 पटना दिनांक– 7-9-11

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव के सचिव, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार/पुलिस महानिरीक्षक(कमजोर वर्ग) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञाप संख्या–1/पी0सी0आर(विविध)09–10/05(खण्ड) 2701 पटना दिनांक– 7-9-11

प्रतिलिपि– सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/गृह (आरक्षी) विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी आरक्षी उप महानिरीक्षक/निदेशक, समाज कल्याण/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/निदेशक, आई0सी0डी0एस0/ निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी उप निदेशक, कल्याण एवं सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञाप संख्या–1/पी0सी0आर(विविध)09–10/05(खण्ड) 2701 पटना दिनांक– 7-9-11

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञाप संख्या–1/पी0सी0आर(विविध)09–10/05(खण्ड) 2701 पटना दिनांक– 7-9-11

प्रतिलिपि– निदेशक, राष्ट्रीय अनु0जाति आयोग, 189बी श्रीकृष्णापुरी, पटना/निदेशक, राष्ट्रीय अनु0 जनजाति आयोग, बिहार/झारखंड, हरमु, रॉची/ सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/ सचिव, राज्य महादलित आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव ।